**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**अपील/टी ए/1544/2006/जयपुर**

1– ओमप्रकाश पुत्र भोरीलाल

2– हीरालाल पुत्र भोरीलाल

सभी जाति अहीर निवासी ग्राम कोकावास उर्फ कैलाशपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....**अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1– श्योजी
2– लालचंद } पुत्रान म्हारू

3– रामनारायण
4– भीमाराम
5– राघेश्याम
6– कैलाश } पुत्रान हुकमा

सभी जाति अहीर निवासी ग्राम कोकावास उर्फ कैलाशपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

8– बालूराम पुत्र भोरीलाल जाति अहीर निवासी कोकावास उर्फ कैलाशपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

9– तीजा पत्नि भोरीलाल

10– श्रीमती मन्नी पुत्री भोरीलाल पत्नी रामनारायण जाति अहीर निवासी पीली की खाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

11– श्रीमती रूपादेवी पुत्री भोरीलाल पत्नी हनुमान जाति अहीर निवासी ग्राम दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

12– श्रीमती गीतादेवी पुत्री भोरीलाल पत्नी रमेश जाति अहीर निवासी ग्राम बांसा तहसील चाकसू जिला जयपुर।
13– श्रीमती लाली पुत्री भोरीलाल पत्नी किशन जाति अहीर निवासी ग्राम दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....**प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड–पीठ**
**श्री सी.आर. मीना, सदस्य**
**श्री सत्तार खां, सदस्य**

**उपस्थित :**
श्रीमती ज्योति पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री ओ.पी. भट्ट, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांकः **01–02–2023**

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–2–2006 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट हीरालाल पुत्र भौरीलाल ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 53 के तहत उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में प्रतिवादी ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया जिस पर विचारण न्यायालय ने पारिवारिक बंटवारे के अनुसार आपसी सहमति के आधार पर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री दिनांक 30–1–99 को जारी की। उसके पश्चात दिनांक 16–6–2000 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 एवं 152 जाप्ता दीवानी बाबत संशोधन प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक

16–6–2000 को आंशिक संशोधन किया गया। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट ने राजस्व अपील अधिकारी के यहां पर निर्णय दिनांक 30–1–99 उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03–2–2006 से रेस्पोडेंट की अपील को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के निर्णय दिनांक 30–1–99 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को रिमांड करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि निर्णय में सबसे पहले मियाद के प्रार्थना पत्र को तय करना चाहिए था क्योंकि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के अनेकों निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जहां पर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी हो, वहां पर सबसे पहले मियाद के बिंदु को निर्णित करना चाहिए किंतु इस बिंदु पर राजस्व अपील अधिकारी ने अपना निर्णय पारित नहीं कर रेस्पोडेंट की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को रिमांड करने में भारी भूल की है। रेस्पोडेंट ने दिनांक 26–7–2004 को अपील प्रस्तुत की गयी और उसके साथ मियाद अधिनियम एवं धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात ही पहले धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये जा सकते थे, किंतु राजस्व अपील अधिकारी ने इन दोनों प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं करके जो आदेश पारित

किया वह काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं हक विवादित आराजी में नहीं है साथ ही प्रकरण को रिमांड करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि दावे में दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति एवं इकबाली जवाबदावा के आधार पर निर्णय डिक्री पारित किया गया था जिससे प्रकरण रिमांड हेतु कुछ शेष नहीं रहता है तथा राजस्व अपील अधिकारी ने प्रकरण को रिमांड करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया इसलिये न्यायलय राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय काबिल निरस्तनीय है। दौराने अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 भौरीलाल (अपीलीय न्यायालय में) की मृत्यु हो गयी उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर नहीं लिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलीय न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक 3–2–2006 को निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–1–99 को यथावत रखा जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5– जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी सांगानेर ने सभी सहकाश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया जो धारा 53 (4) में सहकाश्तकार पक्षकार बनाये जाने आवश्यक है। प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में उपरोक्त आधार पर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण प्रेषित कर दिया जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ

रिकोर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट हीरालाल पुत्र भौरीलाल ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 53 के तहत उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–1–99 के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने राजस्व अपील अधिकारी के यहां पर अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जिसमें यह आधार अंकित किया है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों सह खातेदारों को पक्षकार बनाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करें हेतु, जो उचित निर्णय है किन्तु रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–7–2004 को लगभग पाँच वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की जिसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्रों को अनिर्णित रखते हुये उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात मियाद बिन्दु एवं धारा 96 सीपीसी पर किसी प्रकार का निष्कर्ष अंकित नहीं किया। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी से अपेक्षित था कि अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं मियाद के बिन्दू का निस्तारण करते, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। दौराने अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 भौरीलाल (अपीलीय न्यायालय में) की मृत्यु हो गयी उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर नहीं लिया गया। अपीलीय न्यायालय

द्वारा बिना वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट विचारण न्यायालय में मूल वाद में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का आदेश न्याय नियम एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने से ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त येाग्य है।

8– अतः हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03–2–2006 निरस्त किया जाता है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय में किये गये विवेचन अनुसार सर्वप्रथम धारा 96 सीपसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें तथा साथ ही मृतक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 भौरीलाल (अपीलीय न्यायालय) को कायम मुकाम रिकॉड पर लेते हुए कानूनी प्रावधानों के अधीन पक्षकारान को सुनकर मियाद के बिन्दु को तय कर अपील का एक माह के अन्दर निस्तारण कर देवें। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष दिनांक **20–02–2023** को अपील में वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं आवश्यक रूपसे उपस्थित हों।

पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(सत्तार खाँ)** **(सी.आर. मीना)**

सदस्य सदस्य